बैठक कार्यवाही विवरण

मैसर्स एएसआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा "Cluster Kumbhkot, Laxmipura, Satalkheri, Durjanpura & Kudayala Lime Stone (Dimensional) Mining Project" कुल खनन पट्टो की संख्या–9 (प्रस्तावित खनन पट्टे–1 व मौजूदा खनन पट्टे–8), क्लस्टर क्षेत्रफल–45.2151 हैक्टेयर, कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता– 82,15,216 टन प्रतिवर्ष (रोम), तहसील–रामगंजमण्डी, जिला–कोटा हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् दिनांक 07 जनवरी 2025 को आयोजित जन सुनवाई की बैठक के कार्यवृत्त विवरण (मिनिट्स)।

वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14–09–2006, क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र क्रमांक आर.पी.सी.बी./आर.ओ. कोटा/माईन्स–241/1451–53 दिनांक 22/10/2024 व कार्यालय जिला कलेक्टर कोटा के आदेश पत्र क्रमांक प.2( ) राजस्व–I/जनसुनवाई/24/2977 दिनांक 03/12/2024 की अनुपालना में मैसर्स एएसआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा "Cluster Kumbhkot, Laxmipura, Satalkheri, Durjanpura & Kudayala Lime Stone (Dimensional) Mining Project" कुल खनन पट्टो की संख्या–9, क्लस्टर क्षेत्रफल–45.2151 हैक्टेयर, कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता–82,15,216 टन प्रतिवर्ष (रोम), तहसील–रामगंजमण्डी, जिला–कोटा की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 07.01.2025 को भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुरा, पंचायत समिति खैराबाद, तहसील–रामगंजमण्डी, जिला–कोटा में दोपहर 12:00 बजे राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, क्षेत्रीय कार्यालय, कोटा द्वारा श्री मुकेश चौधरी, अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन), जिला–कोटा की अध्यक्षता में जन सुनवाई आयोजित की गई।

जन सुनवाई के लिए आम सूचना स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों क्रमशः राजस्थान पत्रिका, कोटा में दिनांक 05.12.2024, (परिशिष्ट–अ) एवं दैनिक भास्कर, कोटा में दिनांक 05.12.2024, (परिशिष्ट–ब) को प्रकाशित करवाई गयी, प्रचार–प्रसार हेतु क्षेत्र में बैनर लगाए गए तथा दिनांक 02.01.2025 को वाहन के माध्यम से प्रचार–प्रसार भी करवाया गया। जन सामान्य से आक्षेप/सुझाव सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर तक आमंत्रित किये गए थे।

जन सुनवाई में उपस्थित अधिकारी–गण व क्षेत्र के ग्रामवासी व अन्य की उपस्थिति पत्र मय हस्ताक्षर संलग्न है (परिशिष्ट–'स') तथा जन सुनवाई की वीडियो रिकार्डिग एवं फोटोग्राफ्स सलंग्न है (परिशिष्ट–'द')।

जन सुनवाई मैसर्स एएसआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रामगंजमण्डी, जिला– कोटा के "Cluster Kumbhkot, Laxmipura, Satalkheri, Durjanpura & Kudayala Lime Stone (Dimensional) Mining Project" के अन्तर्गत आने वाली कुल 9 खनन पट्टों (जिनमें 1 प्रस्तावित व 8 मौजूदा खनन पट्टे हैं) के लिए आयोजित कि गई है। उक्त 9 खनन पट्टो कि विस्तृत जानकारी निम्न प्रकार है–

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण
नियन्त्रण मण्डल, कोटा

(मुकेश कुमार चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटा

Sr. No.	Name of Applicant	Location	Area in Hectare	Mineral	Proposed/ existing Production Capacity	M.L No	Tor Details
1	**M/s ASI Industries Ltd.**	**Satalkheri, & Kudayala**	**7.3002**	**Lime Stone (Dimensional)**	**Proposed 19,05,663 TPA (ROM)**	**M.L.No.9/2022, Ref.No.: 20221000063066**	**(LOI) SEIAA Identification Letter No. TO24B0108RJ5124096N dated 14/8/2024**
2	M/s ASI Industries Ltd.	Kumbhkot	6.7184	Lime Stone (Dimensional)	754061 TPA (ROM)	M.L.No.11/2022	Public Hearing conducted
3	M/s ASI Industries Ltd.	Laxmipura	7.3234	Lime Stone (Dimensional)	623176 TPA (ROM)	M.L.No.: 10/2022	Public Hearing conducted
4	M/s ASI Industries Ltd.	Satalkheri, Durjanpura & Kudayala	3.9971	Lime Stone (Dimensional)	1125220 TPA (ROM)	M.L.No.: 05/2022	Public Hearing conducted
5	M/s ASI Industries Ltd.	Durjanpura	3.9854	Lime Stone (Dimensional)	Existing 802432 TPA (ROM)	M.L.No.:07/2018	(Existing) EC Granted
6	M/s ASI Industries Ltd.	Durjanpura	3.9958	Lime Stone (Dimensional)	Existing 1009560 TPA (ROM)	M.L.No.:06/2018	(Existing) EC Granted
7	M/s ASI Industries Ltd.	Durjanpura	3.9994	Lime Stone (Dimensional)	Existing 1087498 TPA (ROM)	M.L.No.:04/2018	(Existing) EC Granted
8	M/s ASI Industries Ltd.	Durjanpura	3.8954	Lime Stone (Dimensional)	Existing 571882 TPA (ROM)	M.L.No.:05/2018	(Existing) EC Granted
9	M/s ASI Industries Ltd.	Kumbhkot	4.0000	Lime Stone (Dimensional)	Existing 335724 TPA (ROM)	M.L.No.:05/2013	(Existing) EC Granted
Total			**45.2151**		**8215216 TPA (ROM)**		

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही को आरंभ करते हुए श्री अमित सोनी, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, कोटा ने सभी आगन्तुको का स्वागत किया। उन्होने मैसर्स एएसआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा "Cluster Kumbhkot, C, Satalkheri, Durjanpura & Kudayala Lime Stone (Dimensional) Mining Project" तहसील–रामगंजमण्डी, जिला–कोटा में प्रस्तावित परियोजना की संक्षिप्त जानकारी देते हुए संबंधित प्रावधानों तथा जनसुनवाई के उद्देश्यो के बारे में अवगत करवाया।

श्री अमित सोनी, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, कोटा ने खनन परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार मैसर्स एन.एस. इन्वायरो–टेक लैबोरेट्रीज व कंसलटेंट प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर के प्रतिनिधि श्री नरेन्द्र सिंह नरूका को प्रस्तावित परियोजना के बारे में LED के माध्यम से विस्तृत जानकारी देने हेतु आमंत्रित किया।

(मुकेश कुमार चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटा

क्षैत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण
नियन्त्रण मण्डल, कोटा

इसके बाद पर्यावरणीय सलाहकार ने परियोजना से संबंधित निम्नलिखित विवरण विस्तार पूर्वक प्रस्तुत किए।

परियोजना का परिचय, परियोजना का प्रस्ताव, परियोजना की स्थिति, भौगोलिक स्थान स्थानीय भू–वैज्ञानिकी, सर्फेस प्लान, खनन प्रक्रिया के प्रकार, खनन क्षेत्र की विस्तृत जानकारी, मौसम मापन जलवायु सूचना अध्ययन, विद्यमान पर्यावरणीय दृश्य, सामाजिक आर्थिक पर्यावरण अध्ययन, भू–जल स्तर अध्ययन, खनन क्षेत्र की (वर्तमान, खनन के दौरान एवं खनन पश्चात्) जमीन के उपयोग संबंधी अध्ययन, पर्यावरणीय प्रभाव का पूर्वानुमान एवं विपरीत प्रभाव कम करने के तरीके, पर्यावरण मॉनिटरिंग कार्यक्रम, वृक्षारोपण एवं सामाजिक कार्यक्रम तथा पर्यावरण प्रदूषण रोकने व विकास कार्य हेतु खर्च की जाने वाली राशि के बारे में विस्तृत रूप से LED के माध्यम से जन सुनवाई में उपस्थित जन–समुदाय को बताया गया।

तत्पश्चात श्रीमान् अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा परियोजना के अन्तर्गत मजदूरों की सुविधा के लिये, पर्यावरण सुरक्षा निगरानी के लिये एवं पर्यावरण सामाजिक दायित्वों के लिये किये जाने वाले व्यय के बारे में पूछा गया जिसकी जानकारी श्री नरेंद्र सिंह नरुका पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा विस्तारपूर्वक दी गई।

इसके पश्चात श्री अमित सोनी, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, कोटा ने उपस्थित ग्रामवासियों, जन समुदाय को उपरोक्त परियोजना के सम्बन्ध में आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत करने का आग्रह किया।

उपस्थित जन समुदाय से जन प्रतिनिधि गण एवं अन्य जनों ने अपने प्रश्न/संशय/आपत्तियाँ/सुझाव प्रस्तुत किये जिनका विवरण निम्नानुसार हैः–

1. **श्री धनराज सिंह हाड़ा, ग्राम लक्ष्मीपुरा द्वारा पूछा गया कि खनन क्षेत्र में प्रदूषण से बचाव के लिये कंपनी द्वारा क्या किया जायेगा।**

   श्री नरेंद्र सिंह नरुका पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि कंपनी द्वारा वायु प्रदूषण को रोकने के लिये पानी का छिडकाव किया जायेगा व रोड़ के दोनों तरफ 5 से 6 फीट लंबाई के पेड़ पौधे लगाये जायेगें। खनन क्षैत्र में वाहन की स्पीड़ 20 किमी प्रति घंटा से कम रखी जावेगी जिससे मिट्टी नहीं उडेगी। ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिये गाडियों/वाहन का समय–समय पर रखरखाव किया जायेगा।

2. **सुषमा गोठवाल, सरपंच ग्राम पंचायत सातलखेड़ी द्वारा बताया गया कि ग्राम सातलखेड़ी में कंपनी द्वारा वाटर कूलर लगाये जाये इसके बारे में कंपनी ने पहले भी बोला था**

   श्री पवन सोनी, प्रतिनिधि, एएसआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने बताया कि कंपनी द्वारा पूर्व में भी गांव दुर्जनपूरा, लक्ष्मीपुरा, कुंभकोट व कुदायला में वाटर कूलर लगाये जा चुके है। अब सरपंच महोदया की सहमति लेकर गांव सातलखेड़ी में भी वाटर कूलर लगा दिये जायेगें।

(मुकेश कुमार चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटा

क्षैत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण
नियन्त्रण मण्डल, कोटा

3. **सुषमा गोठवाल, सरपंच ग्राम पंचायत सातलखेड़ी ने बताया कि ग्राम सातलखेडी के बालिका विघालय में षौचालय की समस्या के बारे में अवगत कराया**

श्रीमान् अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा कंपनी को शौचालय बनाने को कहा गया जिसमें श्री पवन सोनी, प्रतिनिधि, एएसआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कहा कि ग्राम सातलखेडी के बालिका विघालय में शौचालय बनानें का प्रयास किया जायेगा।

4. **श्री ललित गौतम, खान श्रमिक रामगंजमंडी के द्वारा कंपनी के कर्मचारियो के लिये स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने के लिये कहा।**

श्री नरेंद्र सिंह नरुका पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि इस परियोजना के अंतर्गत श्रमिकों के लिये पीने का पानी, उपचार आदि सुविधाओं के लिये लगभग 6 लाख रूपये खर्च करने का प्रावधान रखा गया है।

श्री विकम सिंह शेखावत, मैनेजर (पर्यावरण) ने बताया कि कंपनी द्वारा कुएं के पानी को आर. ओ. प्लांट में फिल्टर करके श्रमिकों को पीने का पानी उपलब्ध कराया जाता है।

श्री अमित सोनी, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, कोटा ने बोला कि कंपनी द्वारा आर. ओ. प्लांट नही लगाया हुआ है तो आर. ओ. प्लांट लगाकर ही श्रमिकों को पीने का पानी उपलब्ध करवाये।

उक्त लोक जन–सुनवाई के दौरान कोई भी लिखित प्रतिवेदन/सुझाव पत्र प्राप्त नहीं हुये हैं।

इसके पश्चात अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटा तथा क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंण्डल, कोटा द्वारा उपस्थित जन समुदाय का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए जन सुनवाई आयोजन की समाप्ति की घोषणा की गयी।

(अमित सोनी)
क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, कोटा

(मुकेश चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन)
जिला कोटा राजस्थान

(मुकेश कुमार चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटा

परिशिष्ट - 'स'

उपस्थिति पत्रक

मैसर्स ए.एस.आई.इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ए.एस.आई. हाऊस, कुदायला औद्योगिक क्षेत्र, जिला कोटा (राज.) द्वारा प्रस्तावित खनन परियोजना यथा **"M.L. No. 09/2022 Which is falling in Proposed Cluster Kumbhkot, Laxmipura, Satalkheri, Durjanpura & Kudayala Lime Stone (Dimensional) Mining Project, 09 mining leases having total Cluster Area – 45.2151 Hectare"** के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन), कोटा की अध्यक्षता में दिनांक 07.01.2025 को समय दोपहर 1200 बजे "भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र, पंचायत लक्ष्मीपुरा, पंचायत समिति खैराबाद, तहसील–रामगंजमण्डी, जिला–कोटा" में आयोजित जन सुनवाई की उपस्थिति पंजिका–

क्र. स.	नाम एवं पदनाम	कार्यालय / गॉव का नाम	हस्ताक्षर
1	Mukesh Kr Choudhary	ADM Kota	[signature]
2	Amit Soni, R.O., RPCB	Kota	[signature]
3	Neeta Vadeeb, SDM, RGM.		[signature]
4	Anurag Singh, AEE	RSPCB Kota	[signature]
5	N.S. Naruka	Consultant NSF, TLC Jaipur	[signature]
6	Vishal singh Tanwar	ASI. Env. Manager	[signature]
7	Vikram Singh Sherawat	ASI Industries Ltd Kudyala	[signature]
8	Neha Verma	TDR, Rgm	[signature]
9	Pavan Soni	ASI	[signature]
10	B. S. Hada	ASI	[signature]
11	Sudhir K. Tuniwala	ASI Ind. Ltd	[signature]
12	Lokesh Namdev	ASI Ind Ltd.	[signature]
13	Mukesh Sahu	Satalkheri	[signature]

क्र. स.	नाम एवं पदनाम	कार्यालय/गाँव का नाम	हस्ताक्षर
14	S.M. Meena Gm(Operation)	ASI Industries Ltd	[signature]
15	Laxman Singh Sisodiya Up-sarpanch.	Laxmipura.	लक्ष्मणसिंह
16	अनिल कुमार नागर	भू अभिलेख निरीक्षक	[signature]
17	अजीत जाखड़.	पटवारी लक्ष्मीपुरा	[signature]
18	S.L. Sharma	ASI co	[signature]
19	Chiranji lal	ASI Ind-Ltd.	[signature]
20	Rajesh Mishra	ASI Ind. Ltd	[signature]
21	Surendra Patidar	AsiInd. Ltd	[signature]
22	सत्यनारायण कुमावत	रामपुरा	[signature]
23	मो० इलाक	ASI.I.Ltd.	मो० इलाक
24	Sunil Kumar Mishra	ASI KLTD	[signature]
25	प्रमोद कुमार	ASI, I Ltd	[signature]
26	ओमप्रकाश यादव	लक्ष्मीपुरा	ओमप्रकाश
27	धनराज सिंह	लक्ष्मीपुरा	धनराज सिंह
28	श्रवण कुमार जोशी	कटमांडपुरा	[signature]
29	Kishanu Kumar	ASI Industries Ltd.	[signature]
30	Subhash Chand	ASI	[signature]
31	Manish Mozi	ASI	[signature]
32	Yogendra Singh Shaley	A.S.I.	[signature]
33	मो. आरिफ	ASI	[signature]

क्र. स.	नाम एवं पदनाम	कार्यालय/गाँव का नाम	हस्ताक्षर
34	ललित कुमार (डिप्टी [illegible])	ASI (K) [illegible]	[illegible]
35	सुशीला बाई	ASI	सुशीला [illegible]
36	पीरचन्द मनोहर		
37	बंशीलाल प्रजापति	ASI	बंशी
38	रामनारायण [illegible]	ASI	[illegible]
39	[illegible] कुमार	ASI	[illegible]
40	[illegible]		[illegible]
41	रणवीर सिंह	ASI	[illegible]
42	अंकुर कुमार	kola	[illegible]
43	परमवीर सिंह	सातलखेड़ी	[illegible]
44	[illegible]		[illegible]
45	[illegible] सिंह राजावत	चौकीदार (राजावत) ASI 2nd	[illegible]
46	[illegible]	[illegible]	[illegible]
47	[illegible]	ASI [illegible]	[illegible]
48			[illegible]
49	किशोर महावर	[illegible]	[illegible]
50			
51			
52			
53			

परिशिष्ट- द

राजकीय उच्च प्राथ. वि. मायला
सामुदायिक भवन मायला
GPS Map Camera
Mayla, Rajasthan, India
Mx4g+c54, Mayla, Kudayla, Rajasthan 326529, India
Lat 24.656149° Long 75.975163°
02/01/25 02:29 PM
Google

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल
द्वारा आयोजित
GPS Map Camera
Devli Khurd, Rajasthan, India
Jx8w+2q3, Devli Khurd, Kumbhkot, Rajasthan
326519, India
Lat 24.615265° Long 75.996964°
02/01/25 02:40 PM
Google

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल
इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र (कोटा)
द्वारा आयोजित
S.D.M., Ramganjmandi
A.D.M., Kota
R.D., RPCB, Kota

महावर

परिशिष्ट-अ

विधानसभा से पहुंचेंगे 1 हजार कार्यकर्ता

यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का 16 दिसंबर को जयपुर कूच

यूथ कांग्रेस की बैठक में शामिल हुए पदाधिकारी।

रामगंजमंडी @ पत्रिका. यूथ कांग्रेस की विधानसभा स्तरीय बैठक बुधवार को गोरधनपुरा माताजी मंदिर परिसर में हुई। मुख्य अतिथि कोटा संभाग प्रभारी अशोक कुलडिया थे। यूथ कांग्रेस 16 दिसम्बर को 'नौकरी दो नशा नहीं' अभियान के तहत जयपुर में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगी। जिसको लेकर बैठक में कार्य योजना पर चर्चा हुई। बैठक में रामगंजमंडी विधानसभा से 1 हजार यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता जयपुर जाने की योजना भी बनाई। यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष विजय प्रताप पानाहेड़ा, पूर्व पार्षद कमल गुर्जर विशिष्ट अतिथि थे। अध्यक्षता रामगंजमंडी विधानसभा अध्यक्ष विक्रम सिंह भदौरिया ने की। प्रभारी कुलडिया ने कहा कि राजस्थान में भाजपा का कुशासन चल रहा है। प्रदेश का युवा बेरोजगार घूम रहा और नशे की बाजारी में फंस रहा है। 16 दिसंबर को युवा मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे।

अभ्यर्थियों का कैंपस प्लेसमेंट में हुआ चयन

बाजार में बिक रहे 200 से लेकर 7 ह

अब रजाई नहीं, मखमली कंबल

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

सांगोद. समय के साथ सर्दी का कल्चर भी बाजार में बदलने लगा है। रजाइयां खरीदने की बजाय अब लोग ब्लैकेंट्स एवं मखमली कंबलों को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। ऐसे में यहां जगह-जगह बाजारों में लगी अस्थायी दुकानों पर ब्लैकेंट्स एवं मखमली कंबल लोगों को खूब भा रहे है।

इसके साथ ही कम्फर्ट (हल्की एवं बारिक रजाई) को भी लोग पसंद करने लगे हैं। सर्दी का मौसम शुरू होते ही सबसे पहले घरों में लोग रजाईयों की सार संभाल शुरू करते हैं। फिर उसके बाद गर्म कपड़ों की बारी आती है। आमतौर पर रात्रि में सोते समय सर्दी से बचाव के लिए हर घर में रजाई का उपयोग होता है। अब इनकी जगह धीरे-धीरे ब्लैकेंट्स एवं मखमली कंबल लेने लगे है। बाजार में सर्दी का नया कल्चर आया है। रजाइयों की दुकानों पर तो बिक्री है ही, इधर ब्लैकेंट्स और कंबल पसंद बनने लगे है। चटख रंगों और

सांगोद. बाजारों में बिक रहे ब्लैकेंट्स

भैंसरोड़गढ़ सेंचुरी में होगी

ट्रांजिट लाइन और साइन स

लाइन सर्वे के लिए सफाई का कार्य किया जाएगा। यह कार्य पूरा होने के बाद ट्रांजिट लाइन का सर्वे कार्य शुरू होगा। गणना के दौरान हर बीट में लाइनों पर आने वाले हर वन्य जीव की गतिविधि कैद करने के लिए इन पर पांच-पांच बार सर्वे कार्य पूर्ण किया जाएगा।

खड़िया-बपावर क्षतिग्रस ठीक करने की मांग

बपावर (मोईकलां). बपावर-खड़िया संपर्क सडक जर्जर होने से वाहन चालकों को काफी परेशान होना पड़ रहा हैं।

जनप्रतिनिधियों की और से क्षतिग्रस्त सडक को ठीक करने की मांग को लेकर अधिकारियों को पत्र लिखा गया है। खड़िया सरपंच रघुराज सिंह व पूर्व सरपंच रामचन्द्र नागर ने बताया कि समय पर मरम्मत नहीं होने से बपावर-खड़िया संपर्क सडक जगह-जगह से जर्जर हो चुकी है। दुपहिया व चौपहिया वाहन चालकों को वाहन चलाने में काफी परेशानी उठानी पड़ रही है।

खड़िया के अलावा इस मार्ग से उमरदा, अरनिया व रैलावद सहित अन्य गांवों के ग्रामीणों का भी आना जाना रहता हैं। सडक खराब होने के कारण लोगों को भी परेशान होना पड़ रहा हैं।

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
प्लॉट-2(ए), रोड नं. 6, इन्द्रप्रस्थ औघोगिक क्षेत्र, कोटा -324004
E-mail:- rorpcb.kota@gmail.com ☎ 0744-2490873

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14/09/2006 के प्रावधानों के अंतर्गत मैसर्स ए.एस.आई.इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ए.एस.आई. हाऊस, कुदायला औद्योगिक क्षेत्र, जिला कोटा (राज.) द्वारा प्रस्तावित परियोजना यथा "M.L.No. 09/2022 Which is falling in Proposed Cluster Kumbhkot, Laxmipura, Satalkheri, Durjanpura & Kudayala Lime Stone (Dimensional) Mining Project, 09 mining leases having total Cluster Area-45.2151 Hectare" हेतु प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये गये है। चूंकि, मैसर्स ए.एस.आई.इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित खनन परियोजना यथा "M.L. No. 09/2022 Which is falling in Proposed Cluster Kumbhkot, Laxmipura, Satalkheri, Durjanpura & Kudayala Lime Stone (Dimensional) Mining Project, 09 mining leases having total Cluster Area-45.2151 Hectare, Tehsil-Ramganjmandi, District-Kota" के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में जन सुनवाई हेतु आवेदन मय दस्तावेजों के राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। और चूंकि, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना बाबत् भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14/09/2006 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आषय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य हैं।

उक्त परियोजना से संबधित पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन रिपोंट एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार निम्न कार्यालयों मे उपलब्ध हैं:- (1) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4-संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर। (2) पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय जयपुर। (3) कार्यालय जिला कलक्टर, कोटा। (4) क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, A-218, अरण्य भवन, झालाना डूंगरी, जयपुर। (5) क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, कोटा। (6) जिला उद्योग केन्द्र, कोटा। (7) कार्यालय जिला परिषद, रामगंजमण्डी। (8) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा। (9) कार्यालय पंचायत समिति खैराबाद, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा। (10) कार्यालय ग्राम पंचायत-लक्ष्मीपुरा, कुम्भकोट, सातलखेड़ी, कुदायला, पंचायत समिति-खैराबाद, तहसील-रामगंजमण्डी, जिला-कोटा।

अतः सर्व साधारण को इस नोटिस के माध्यम से एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबधित प्रकरण के निपटारे के लिए जन-सुनवाई हेतु दिनांक 07.01.2025 को "भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र, "ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुरा, पंचायत समिति खैराबाद, तहसील-रामगंजमण्डी, जिला-कोटा में समय दोपहर 12:00 बजे उपस्थित होकर अपने सुझाव/आक्षेप, कोविड-19 के सन्दर्भ में जारी गाईडलाइन की पालना सुनिश्चित करते हुए, प्रस्तुत कर सकते हैं। इस संबंध मे लिखित सुझाव/आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस की अवधि में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, कोटा, प्लॉट-2(ए), रोड नं. 6, इन्द्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र, कोटा (E-mail:- rorpcb.kota@gmail.com) के साथ-साथ मुख्यालय, 4-संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर मे भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

आज्ञा से (अमित सोनी) क्षेत्रीय अधिकारी

CLASSIFIED क्लासीफाइड

परिशिष्ट- ब

...ा चाहिए, अपने कॅरियर के प्रति जागरूक रहें

...स्कूल में पुलिस ने दी ...नियमों की जानकारी

महात्मा गांधी स्कूल में बच्चों को जानकारी देते थानाधिकारी छोटूलाल।

...। कांस्टेबल पूजा ने बच्चियों को बताया कि निडर होकर आप अपने साथ या अपने साथी के साथ किसी भी तरह की अप्रिय घटना की जानकारी पुलिस से साझा कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर पर भी आप कॉल करके पुलिस को सूचना दे सकते हैं। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा और आपके सहयोग से मुजरिम जल्द पुलिस की पकड़ में आएगा।

...कारी, हाथों से ...र गुल्लक

...समेत कई लोग मौजूद रहे।

घायल बीमार वन्यजीव नीलगाय रेस्क्यू कर कोटा चिड़ियाघर भेजा

मंडाना| घायल बीमार नीलगाय का रेस्क्यू कर कोटा भेजा गया। कस्बे वार्ड नं 1 मुकुंदपुरा गाँव के समीप बुधवार को ग्रामीणों को एक नीलगाय गाँव के आम रास्ते के समीप खेत की दीवार के पास दिखाई दी। नीलगाय देखने में बहुत कमजोर व बीमार हालात में दिख रही थी। जिसके मुँह से खून आ रहा था व आंख में किसी की चोट का निशान था।

...ग्रामीणों ने बताया है कि ...

महेंद्र गुर्जर कांग्रेस पीपल्दा बी के ब्लॉक अध्यक्ष बने

सुल्तानपुर. प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से 15 नामों की सूची में नौताड़ा निवासी पूर्व डायरेक्टर महेंद्र गुर्जर को पीपल्दा विधानसभा के ब्लॉक बी से अध्यक्ष नियुक्त किया गया। महेंद्र गुर्जर 2005 से कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं।

कांग्रेस के टिकट से चुनाव जीतकर पंचायत समिति सदस्य बने और कांग्रेस के सिंबल पर ही उप प्रधान की दावेदारी भी की। यूथ कांग्रेस में जिला उपाध्यक्ष भी रहे और पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव और इस साल हुए लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों के कार्यालय प्रभारी भी थे। महेंद्र गुर्जर ने बताया कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है, उसको पूरी ईमानदारी के साथ पूरी करूंगा। उन्होंने इस नियुक्त पर शीर्ष नेतृत्व सहित पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, विधायक चेतन पटेल कोलाना, पूर्व विधायक पहलाद गुंजल और देहात जिला अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह का आभार व्यक्त किया। महेंद्र गुर्जर को ब्लॉक अध्यक्ष बनाए जाने पर पूर्व ब्लॉक कांग्रेस प्रवक्ता प्रदीप नामा, जिला परिषद सदस्य हेमंत मीणा, योगेश मालव, मुकेश उदयराज, शुभम शर्मा, अजरुद्दीन खान, पूरणमल मीणा व कार्यकर्ताओं ने हर्ष व्यक्त किया।

नेत्र चिकित्सा शिविर 28 को

इटावा| रचनात्मक कार्यों के तहत नर सेवा नारायण सेवा के भाव को लेकर भारतीय किसान संघ तहसील पीपल्दा एवं भारत विकास परिषद हॉस्पिटल कोटा व जिला अंधता निवारण समिति कोटा के में निशुल्क नेत्र चिकित्सा एवं लेंस प्रत्यारोपण शिविर 28 दिसम्बर को शारदा बाल उच्च माध्यमिक विद्यालय में भारतीय किसान संघ कोटा संभाग वर्षा जल संरक्षण व पर्यावरण प्रमुख शिविर प्रभारी गिरजा शंकर गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित होगा।

शिविर में 29 महिलाओं की नसबंदी

जन्मदिन राजकीय आवासीय विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के साथ मनाया गया। साथ ही बंच्चों नवल मेघवाल, शक्तिकेंद्र संयोजक जगदीश सुरावत उपस्थित रहे।

...क का निर्धारित मानकों ...मीणों ने प्रदर्शन किया

रहा है। जिसके कारण ठेकेदार अपनी मनमर्जी से सड़क का निर्माण कर रहा है। ठेकेदार ने 3 दिन में ही 5 किलोमीटर सड़क तैयार कर दी। साथ ही एक लेयर डामर भी कर दिया। जिससे सड़क में गड्ढे नजर आने लग गए। ग्रामीणों ने बताया कि पीपल्दा बीरम गांव के पास सड़क के नाले पर पुलिया भी बनाई जा रही है, जिसमें बजरी की जगह एमसेंड के नाम पर कच्चे पत्थर की चूरी मिलाकर

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्लॉट-2(ए), रोड नं. 6, इन्द्रप्रस्थ औधोगिक क्षेत्र, कोटा-324004

E-mail:-rorpcb.kota@gmail.com :0744-2490873

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आम सूचना

सर्वसधारण को सूचित किया जाता है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14/09/2006 के प्रावधानों के अंतर्गत मैसर्स ए.एस.आई. इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ए.एस.आई. हाऊस, कुदायला औद्योगिक क्षेत्र, जिला कोटा (राज.) द्वारा प्रस्तावित परियोजना यथा "M.L. No. 09/2022 Which is falling in Proposed Cluster Kumbhkot, Laxmipura, Satalkheri, Durjanpura & Kudayala Lime Stone (Dimensional) Mining Project, 09 mining leases having total Cluster Area 45.2151 Hectare" हेतु प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये गये है।

चूंकि, मैसर्स ए.एस.आई. इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित खनन परियोजना यथा "M.L. No. 09/2022 Which is falling in Proposed Cluster Kumbhkot, Laxmipura, Satalkheri, Durjanpura & Kudayala Lime Stone (Dimensional) Mining Project, 09 mining leases having total Cluster Area 45.2151 Hectare, Tehsil- Ramganjmandi, District-Kota" के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में जन सुनवाई हेतु आवेदन मय दस्तावेजों के राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। और चूंकि, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना बाबत भारत सरकार के पर्यावरण, वन, एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14/09/2006 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।

उक्त परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन रिर्पोट एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है :-

(1) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, मुख्यालय, 4 संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर

(2) पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय जयपुर।

(3) कार्यालय जिला कलक्टर, कोटा।

(4) क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, A 218, अरण्य भवन, झालाना डूंगरी, जयपुर।

(5) क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, कोटा।

(6) जिला उद्योग केन्द्र, कोटा।

(7) कार्यालय जिला परिषद, रामगंजमण्डी।

(8) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा।

(9) कार्यालय पंचायत समिति खैराबाद, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा।